रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941
No. 445] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941

IndiaCode

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

सा. का. नि. 552(अ).—केंद्रीय सरकार ने, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय में ओडिशा राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 934 (अ) दिनांक 4 जुलाई, 1986 द्वारा ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण को दिनांक 14 जुलाई, 1986 से स्थापित किया है;

और ओडिशा राज्य सरकार ने, ओडिशा उच्च न्यायलय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात, अब उक्त ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा विखंडित करने से पूर्व की जानी वाली अथवा हटाई जाने वाली सम्बंधित चीज़ो को छोड़कर, दिनांक 4 जुलाई, 1986 की उक्त अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 934 (अ) को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है।

[फा.सं. ए-11014/10/2015-एटी]

श्रीनिवास आर. कथिकीथाला, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

G.S.R.552(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and on receipt of the request from the Government of the State of Odisha in this behalf, the Central Government has established the Odisha Administrative Tribunal with effect from the 14th July, 1986 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions (Department of Personnel and Training), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), vide number GSR 934(E), dated the 4th July, 1986;

And whereas, the Government of the State of Odisha, after obtaining the concurrence of the High Court of Orissa, has now made a request for abolition of the said Odisha Administrative Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act 1985, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the said notification number G.S.R. 934 (E), dated the 4th July, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

[F. No. A-11014/10/2015-AT]

SRINIVAS R. KATIKITHALA, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.05 15:43:22 +05'30'